



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18774 वर्ष 2025

राम सजीवन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ओंकार नाथ

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार नाथ तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे सहायक नलकूप तकनीशियन के पद पर दिनांक 04.02.1966 को नियुक्त किया गया था। उसे नलकूप तकनीशियन के पद पर दिनांक 10.07.1984 को पदोन्नति प्रदान की गई तथा याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दिनांक 31.03.2005 को सेवानिवृत्त हुआ। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा सहायक नलकूप तकनीशियन के पद से नलकूप तकनीशियन के पद पर दिनांक 07.04.2025 से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है कि याचिका की ग्राह्यता इस आधार पर प्रश्नगत है कि पदोन्नति दिनांक 07.04.1975 से मांगी जा रही है जबकि याचिकाकर्ता दिनांक 31.03.2005 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उनके अनुसार, याचिका विलम्ब एवं उपेक्षा के कारण बाधित है, जिसका कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा बार के समक्ष किए गए निवेदनों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। न्यायालय के मत में, जब याचिकाकर्ता दिनांक 31.03.2005 को सेवानिवृत्त अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो चुका है, तब अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि याचिकाकर्ता सतर्कतापूर्वक कार्य कर रहा था तथा यह भी नहीं दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय का द्वार खटखटाने में इतना विलम्ब क्यों किया।

5. तदनुसार, याचिका विलम्ब एवं उपेक्षा के आधार पर निरस्त की जाती है।

19 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।